



10/-
12
18
40/-

59

59

पुनरिक्षण प्र.क. /2014

माननीय न्याया. म.प्र. राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प इन्दौर

R. 3630 - PBR114

1. श्रीमती द्रोपदीबाई बेवा रामचंद्र
2. संतोष पिता रामचंद्र
आयु - वयस्क,
दोनो निवासी - ग्राम सिंहासा
तह. व जिला इन्दौर

श्री. सुचय के. सक्सेना 18/9/14
प्रार्थी/अभिभावक द्वारा दिनांक...
को प्रस्तुत ✓

Guar 18/9/14
अधीक्षक


59/18/9/14

- पुनरिक्षणकर्ता
(प्रतिप्रार्थी कं. 1 व 1/1)

27.10.14 को शक
मामल 548
के
के

विरुद्ध

1. म.प्र. शासन तर्फे तहसीलदार
इन्दौर म.प्र.
2. श्रीमती उमा परमार पति उमेश परमार
आयु - वयस्क,
निवासी - 50, गणेशगंज, इन्दौर म.प्र.
3. मुकेश पिता रामचंद्र
आयु - वयस्क,
निवासी - ग्राम सिंहासा तह. व जिला इन्दौर
4. श्रीमत सुमित्राबाई पति रामाजी
निवासी - ग्राम नावदापंथ तह. व जिला इन्दौर - प्रतिप्रार्थीगण
(प्रार्थी व प्रतिप्रार्थीगण)



4/-

29-10-14

पुनरिक्षण पत्र अधिन धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.


विरुद्ध वाद ग्रस्त आदेश दि. 19.08.2014 संबंधित प्र.क.

01/अ-74/ -14 (म.प्र. शासन विरुद्ध श्रीमती द्रोपदीबाई व अन्य)

जिसके द्वारा प्रार्थिनी का नाम भूमिस्वामी की हैसियत से कम कर
दिया गया है

माननीय महोदय,

उक्त पुनरिक्षणकर्ता की ओर से समयावधि में निम्नलिखित पुनरिक्षण
पत्र प्रस्तुत है :-



-- 2

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.



2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निग0 3630-पीबीआर/14

जिला - इंदौर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14/5/15	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदकगण द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, इंदौर के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के न्यायालय में भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 27-6-19 को आयुक्त के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों। उभयपक्ष सूचित हों।</p> <p style="text-align: right;">  अध्यक्ष </p> <p style="text-align: left;">  अध्यक्ष </p>	